जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) औरैया।

संख्या 15 /ज़ि0निर्वा0कार्या0/मई–रिक्त पद नि0/2014 दिनांक 29 मई,2014

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज विभाग के पत्र संख्या 967 (1)/33–3–2014–255/2002 टी0सी0 दिनांक 26 मई,2014 के कम में भारत के संविधान के अनुच्छेद–243"ट" सपठित उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा–264 ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) उ0प्र0 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1174/रा0नि0आ0अनु0–4/21/14/2014 दिनांक 28 मई,2014 के कम में मैं एस0 राजलिंगम, जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) जनपद औरैया में निम्न सदस्य क्षेत्र पंचायत के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्न विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
01 जून,2014 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक)	02 जून,2014 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03 जून,2014 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक)	03 जून,2014 (अपरान्ह 3:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16 जून,2014 (पूर्वान्ह 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक)	16 जून,2014 (पूर्वान्ह 8:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों का विवरण :–

क0सं0	क्षेत्र पंचायत का नाम	रिक्त पद का नाम	वार्ड संख्या	आरक्षण श्रेणी
1	अजीतमल	सदस्य क्षेत्र पंचायत	36	अनारक्षित
		सदस्य क्षेत्र पंचायत	52	अनुसूचित. जाति

क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों/स्थानों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक **30 मई,2014** को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस चुनाव कार्यकम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सम्बन्धित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यकम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उ0प्र0. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।

सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्र दाखिल करने, इनकी जांच करने व उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य, सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा, परिणाम की घोषणा भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। मतगणना सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

उर्पयुक्त समय–सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

29/5/14

(एस0 राजलिंगम)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)
औरैया।

पत्रांक व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि नियत समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रकिया सम्पादन के दौरान पूर्ण शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से क्षेत्र पंचायत अजीतमल के मुख्यालय एव आवश्यक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने का कष्ट. करें।

3. अपर आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, (पं0 एवं न0नि0) औरैया।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी औरैया को इस आशय से प्रेषित कि मतदान हेतु 09 प्राथमिक चिकित्सा किट तैयार कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. उपजिलाधिकारी, अजीतमल को इस आशय से प्रेषित कि रिक्त पदों के ग्राम पंचायतों की संवेदनशीलता एवं अति संवेदनशीलता की सूची तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक कृषि/ प्रभारी अधिकारी (मतपत्र) औरैया को इस आशय से प्रेषित कि नाम वापसी के उपरान्त स्ट्रांग रूम खोलकर वांछित मतपत्र आर0ओ0/ए0आर0ओ0 को उपलब्ध कराने एवं मतगणना के उपरान्त शील्ड अभिलेखों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करें।
9. तहसीलदार , अजीतमल को इस आशय से प्रेषित है कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर एक प्रति चस्पा कराने हेतु।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
11. खण्ड विकास अधिकारी, अजीतमल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकासखण्ड की सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्व साधारण को सूचित करना सुनिश्चित करें और अन्य स्तर से भी कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत कार्यालय/ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर भी उक्त की प्रति चस्पा कराना सुनिश्चित करें, साथ ही निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों को बैठने/कार्य करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना सुनिश्चित करें साथ ही साथ नामांकन पत्र व नामांकन प्रकिया के सम्बन्धित आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
12. समस्त निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफीसर) विकास खण्ड अजीतमल को तदनुसार सूचनार्थ/ यथासमय अनुपालनार्थ ।
13. समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी (सहायक रिटर्निंग ऑफीसर) विकास खण्ड अजीतमल को तदनुसार सूचनार्थ/यथासमय अनुपालनार्थ।
14. जिला सूचना अधिकारी, औरैया को 15 अतिरिक्त प्रतियॉ सहित इस आशय से प्रेषित है कि जनपद में पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
15. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी औरैया।
16. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी औरैया को इस आशय से प्रेषित कि भारी/ हल्के वाहनों का आंकलन कर ससमय व्यवस्था करने हेतु।
17. जिला विद्यालय निरीक्षक, औरैया ।
18. जिला आबकारी अधिकारी, औरैया।
19. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि विकास खण्ड औरैया/भाग्यनगर/अछल्दा के लगभग 10–10 प्रधानाध्यापकों/सहायक अध्यापकों की सूची दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
20. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
21. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत औरैया को इस आशय से प्रेषित है कि व्यापक प्रचार–प्रसार कराने एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
22. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड औरैया।
23. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड अजीतमल को तदनुसार सूचनार्थ/यथासमय अनुपालनार्थ।
24. नाजिर ,कलैक्ट्रेट/विकास भवन औरैया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
25. समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिल निर्वाचन कार्यालय (पं0 एवं न0नि0) औरैया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त तैयारियाँ समय से करना सुनिश्चित करें।

29/5/14

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)
औरैया।